

प्रेषक,  
मुकेश कुमार मेश्राम,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक ०४ जून, 2022

विषय:- प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ० प्र०, लखनऊ के पत्र सं०-121/15-1-1696/ट्रै०ट्रे०/2021, दिनांक 08.04.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद समिति के गठन सम्बन्धी नियमावली संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नियमावली में दिये गये दिशा-निर्देश/प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तर पर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन कराकर अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. जिन जनपदों में पूर्व से ही इस परिषद का गठन हो गया है, वहां परिषद की बैठक आहूत कर नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित कराते हुए सहायक पंजीयक, सोसाइटी व फर्म्स को सूचित करा दिया जावे, ताकि इसके उद्देश्यों, कार्यों एवं गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जा सके एवं इस संस्था को सक्रिय किया जा सके।

3. एक माह के अन्दर समयबद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही कराते हुए बैंक खाते खुलवा लिये जायें, ताकि संबंधित विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट से कार्यालय व्यय एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु धनराशि ट्रांसफर की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)  
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदेव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जनपदीय पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, संस्कृति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक/ समस्त उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा महानिदेशक, पर्यटन।
8. समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा महानिदेशक, पर्यटन।
9. संस्कृति अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
गिरिजापति द्विवेदी

उप सचिव।

पंजीकरण हेतु प्रारूप

समिति का नाम:- जिला पर्यटन एवं सांस्कृति परिषद होगा।

स्थान:- परिषद का पंजीकृत कार्यालय ..... होगा।

कार्यक्षेत्र:- परिषद का कार्यक्षेत्र राजस्व जिला..... होगा।

उद्देश्य:-

- जनपद के विभिन्न आकर्षणों - पौराणिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण तथा संवर्धन।
- विभिन्न पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों को प्रमुख स्थलों से जुड़े व्यक्तियों, कलाकारों एवं स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के साधनों का सृजन।
- सांस्कृतिक धरोहरों एवं परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाए रखना।
- जनपद के विभिन्न विशेषज्ञों को पर्यटन विकास कार्यक्रमों/सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना/जागरूक करना एवं प्रचार व प्रोत्साहन करना।
- पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु नये क्षेत्रों की पहचान करना।
- पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास में होने वाले गतिरोध/समस्या का चिन्हीकरण करते हुए उनका समाधान करना।

जिला पर्यटन एवं सांस्कृति परिषद के कार्य:-

1. जनपद में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में दिशा-निर्देश प्रदान करना। शासन से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों, शासनादेशों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन करना।
2. पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण स्थलों के पर्यटन विकास तथा मूर्त एवं अमूर्त कलाओं के विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना।
3. पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु प्रचलित नीतियों को लागू करना तथा इसको बेहतर बनाये जाने हेतु परिपक्व सुझाव प्राप्त कर अमल में लाना।
4. अन्य प्रदेशों व जिलों में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े कार्यों एवं आयोजनों पर चर्चा करना एवं तदनुसार जनपद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना।
5. जनपद के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्य योजना तैयार करना, जिसका क्रियान्वयन अन्तरविभागीय वित्तीय

समन्वय (Convergence) तथा निजी क्षेत्र के सहयोग (Corporate social Responsibility) से स्थानीय स्तर पर किया जाना।

6. परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रस्ताव वित्तीय व्यवस्था किये जाने हेतु परिषद द्वारा महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना। पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग द्वारा सृजित परिसंपत्तियों अथवा अन्य विभागों द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार की निधियों अथवा अन्य अनुदानों से निर्मित भवनों, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का अनुसंधान, प्रबंधन एवं संचालन करना। इन परिसंपत्तियों को गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों को संचालन व प्रबंधन हेतु नियमानुसार निविदा के माध्यम से लीज पर देना
7. वर्ष के जिस माह में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होती हो अथवा पर्यटन गतिविधियां चरम सीमा पर हो, मांग के अनुसार क्षेत्र में विद्यमान पर्यटन की सम्भावनाओं/सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा पर्यटन एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रयास करना, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आवश्यकता का आंकलन करना, कमियों का चिन्हीकरण (Gap Identification) करके शासन को अवगत कराना।
8. जनपद की समस्त सुविधाओं का इस प्रकार से प्रबंधन/प्रोत्साहन/क्रियान्वयन करना जिससे पर्यटन एवं संस्कृति में लाभकारी वृद्धि हो। समय व मांग के अनुसार पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र के सहभागियों की सहायता प्राप्त करना।
9. जनपद में MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibitions) गतिविधियों का विकास करना, इनका आयोजन करना तथा बढ़ावा देना।
10. पर्यटन के विभिन्न आयामों यथा- आवास, खान-पान, ट्रेवल एजेन्सी, संस्कृति, साहित्य, मनोरंजन आदि गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
11. जिले के विभिन्न सृजित पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्पादों/सम्भावनाओं को पर्यटकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका प्रबंधन करना।
12. जनपद के पर्यटन एवं संस्कृति के विकास हेतु सरकारी/गैर सरकारी/निजी सहभागियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
13. पर्यटन एवं संस्कृति के विकास हेतु आवश्यकतानुसार निहित नियम एवं निर्देशों के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/सहभागियों के बीच अनुबन्ध (MOU) निष्पादन कराना।
14. जनपद में विद्यमान सामाजिक/सांस्कृतिक धरोहरों या प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण में योगदान करना। धरोहरों के संरक्षण में योगदान के परिपेक्ष्य में यदि धरोहर पुरातत्व विभाग से संबंधित है तो भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना।

15. जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा विधिसम्मत ऐसे विशेष पहल/अभिनव कार्य जो पर्यटन एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से आवश्यक हों, किये जा सकते हैं।
16. परिषद का खाता सरकारी बैंक में खुलवाया जाना।
17. पर्यटन व संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान, राज्य व केन्द्र शासन से प्राप्त आर्थिक सहायता अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या निजी संस्थाओं/व्यक्तियों से प्राप्त धनराशि, जिसका प्रत्येक वर्ष स्थानीय स्तर पर अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से परिपत्र तैयार कर ऑडिट कराना।
18. परिषद द्वारा पास्ति दिशा-निर्देश के अनुपालन तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जनपद में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग एवं संबंधित अन्य विभागों/संस्थाओं का होगा।
19. स्थानीय स्तर पर प्रचार सामग्री/ब्रोशर/डाक्यूमेन्ट्री फिल्म विकसित कराना।
20. विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों/गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) के साथ समन्वय स्थापित कर छात्रों व युवाओं को पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास एवं संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूक करना तथा उनका पर्यटन कक्षा।
21. परिषद के कार्यालय हेतु प्रत्येक विकास भवन/कलैक्ट्रेट में एक कक्ष उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पर्यटन अथवा संस्कृति विभाग के एक कर्मी के अतिरिक्त आउट सोर्सिंग पर सम्बन्धित जनपद निवासी एक मल्टीटास्किंग कर्मी/कम्प्यूटर ऑपरेटर परिषद के व्यय पर रखा जायेगा, जो सूचनायें तथा पत्रावलियों का रख रखाव करेगा एवं परिषद द्वारा निर्देशित समस्त कार्य करेगा।
22. जहां पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का कार्यालय नहीं है तथा कोई अधिकारी पदस्थ नहीं है वहां पर जिला सूचना अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यटन व संस्कृति में रुचित रखने वाले किसी सक्रिय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से कार्यों को निष्पादित करेंगे।
23. रिटायर्ड कर्मी (लिपिक या लेखा लिपिक) को अंतिम आहरित वेतन व स्वीकृत पेंशन के अन्तर की धनराशि अथवा एकमुश्त मानदेय पर भी इस कार्य हेतु जिलाधिकारी रख सकते हैं या कोई ऐसा कर्मचारी जो किसी विभाग में कार्यरत हो एवं यह कार्य करने का इच्छुक हो, उसे भी यह जिम्मेदारी विशेषकर कोई ललितकला, संगीत या संस्कृति का शिक्षक हो, दी जा सकती है।
24. प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर एवं गाँवों के स्तर पर यथावश्यक उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मेले-महोत्सवों का आयोजना कराना, जिसके माध्यम से स्थानीय संस्कृति का संरक्षण, प्रदर्शन एवं संवर्धन किया जायेगा।
25. भारत सरकार या राज्य सरकार की पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र में संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना, जैसे 'मेरा गाँव-मेरा धरोहर योजना', युवा पर्यटन, ग्रामीण-पर्यटन, इको टूरिज्म, एग्री-टूरिज्म, अर्थ गंगा, नमामि-गंगे आदि।

### बैठके व कार्यवाहियां-

1. परिषद की सामान्य बैठक प्रत्येक माह अथवा उससे पूर्व यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जायेगी।
2. परिषद के सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने अथवा परामर्श देने हेतु उन्हें किसी प्रकार का कोई मानदेय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

### अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य-

अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे-

1. परिषद की कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. परिषद के कार्यकलापों का समग्र रूप से पर्यवेक्षण करना, मार्गदर्शन करना और उन पर नियंत्रण रखना।
3. परिषद के उद्देश्यों के क्रियान्वयन एवं उन्नति के लिये विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से निधि इकट्ठा कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।
4. परिषद के सचिव को समय-समय पर आवश्यक निर्देश देना और यह देखना कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय सम्यक् रूप से क्रियान्वित हो जायें।
5. परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन कराना।
6. अध्यक्ष, आपात स्थिति में परिषद के किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करने पर सभी मामले परिषद की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ सूचित किया जायेगा।

### सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य

1. अध्यक्ष के निर्देश से परिषद की बैठकें आहूत करना।
2. आय-व्ययक के लेखों का रख-रखाव करना।
3. परिषद की त्रैमासिक बैठकों में प्राप्तियों/व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।
4. आय-व्ययक का अनुमान तैयार करना और परिषद की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करना।
5. अध्यक्ष द्वारा परिषद के हित में सौंपे गये अन्य कार्य।

### बैठके व कार्यवाहियां-

1. परिषद की सामान्य बैठक प्रत्येक माह अथवा उससे पूर्व यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जायेगी।
2. परिषद के सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने अथवा परामर्श देने हेतु उन्हें किसी प्रकार का कोई मानदेय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

### अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य-

अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे-

1. परिषद की कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. परिषद के कार्यकलापों का समग्र रूप से पर्यवेक्षण करना, मार्गदर्शन करना और उन पर नियंत्रण रखना।
3. परिषद के उद्देश्यों के कियान्वयन एवं उन्नति के लिये विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से निधि इकट्ठा कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।
4. परिषद के सचिव को समय-समय पर आवश्यक निर्देश देना और यह देखना कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय सम्यक् रूप से कियान्वित हो जायें।
5. परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कियान्वयन कराना।
6. अध्यक्ष, आपात स्थिति में परिषद के किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करने पर सभी मामले परिषद की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ सूचित किया जायेगा।

### सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य

1. अध्यक्ष के निर्देश से परिषद की बैठकें आहूत करना।
2. आय-व्ययक के लेखों का रख-रखाव करना।
3. परिषद की त्रैमासिक बैठकों में प्राप्तियों/व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।
4. आय-व्ययक का अनुमान तैयार करना और परिषद की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करना।
5. अध्यक्ष द्वारा परिषद के हित में सौंपे गये अन्य कार्य।

## कोषाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य-

1. परिषद् द्वारा अनुमोदित आय-व्ययक का प्रबन्धन।
2. यह सुनिश्चित करना कि परिषद् की समस्त धनराशि का व्यय उन्ही प्रयोजनों ~~जाने~~ उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए वह नियत/आवंटित की गयी है।
3. यह सुनिश्चित करना कि परिषद् के लेखे समुचित रूप से रखे जाए और ऐसे लेखे का परिषद् द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से लेखा-परीक्षा कर लेने के पश्चात् परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. परिषद् के आगामी वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों की समीक्षा करना।
5. लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण करना और उसके संबंध में परिषद् को सिफारिशें करना।
6. ऐसे सभी कार्य करना जो परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

## निधियां:-

1. परिषद् निधियों का उपयोग केवल परिषद् के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
2. परिषद् द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया या अन्य अनुसूचित बैंक में खाता खोला जाएगा।
3. कोषाध्यक्ष को परिषद् द्वारा निर्णीत व्यय प्रस्तावों व नियत प्राविधानों के अनुसार व्यय करना अनुमन्य होगा।
4. परिषद् द्वारा निधि में से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को समय-समय पर वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी वित्तीय नियमों के अनुसार अनुमन्य धनराशि से अधिक का भुगतान नगद नहीं किया जाएगा।
5. परिषद् द्वारा निधि के धनराशि का उपयोग पर्यटन एवं संस्कृति के विकास, प्रोत्साहन एवं संवर्धन के कार्यों पर ही किया जाएगा।
6. परिषद् की निधि और बैंक लेखे का परिचालन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
7. परिषद् के समस्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से कराया जाएगा एवं आवश्यक संस्थाओं को प्रस्तुत किया जायेगा।



## जिला स्तरीय समिति के सदस्य

क्र.स.	नाम	पदनाम	समिति में पदनाम	
			अध्यक्ष	पदेन
1.	-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष	पदेन
2.	-	1-पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित-उपायुक्त 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष	पदेन
3.	-	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष	पदेन
4.	-	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	पदेन
5.	-	1-उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/सचिव विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2-नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त 3-अधिसासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत 4- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य	पदेन
6.	-	जिला कीड़ा अधिकारी	सदस्य	पदेन
7.	-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य	पदेन
8.	-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य	पदेन
9.	-	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य	पदेन
10.	-	क्षेत्रीय पुरातत्व अधीक्षण	सदस्य	पदेन
11.	-	मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	कोषाध्यक्ष	पदेन
12.	-	क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रबन्धक उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०।	सदस्य	पदेन
13.	-	जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य	पदेन
14.	-	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य	पदेन
15.	-	जिला प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य	पदेन
16.	-	जिला विकास अधिकारी	सदस्य	पदेन
17.	-	जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र/NCC/NSS.	सदस्य	पदेन
18.	-	जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य	पदेन
19.	-	जिलास्तरीय अधिकारी/प्रमारी अधिकारी, आयुष विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।	सदस्य	पदेन
20.	-	जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)	सदस्य	पदेन
21.	-	संस्कृति विभाग के स्थानीय अधिकारी	संयुक्त सचिव	पदेन
22.	-	जिला सूचना अधिकारी/उप निदेशक, सूचना उपनिदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन सूचना अधिकारी/संस्कृति विभाग का स्थानीय अधिकारी (जैसी स्थिति हो)	संयुक्त सचिव	पदेन
23.	-	सूचना अधिकारी/संस्कृति विभाग का स्थानीय अधिकारी (जैसी स्थिति हो)	सदस्य सचिव	पदेन

**सम्मानित विशेष आमंत्रित सदस्य**

1. मा0 सांसद, प्रतिनिधि, लोक सभा।
2. जनपद के मा0 विधायकगण।
3. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा उनके प्रतिनिधि।
4. मा0 अध्यक्ष नगर पालिका/नगर पंचायत।

**जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य सदस्य**

1. जिले में स्थित होटल्स एसोसिएशन के नामित पदाधिकारी/होटल व हास्पिटलिटी (आतिथ्य सत्कार) से जुड़े व्यक्ति।
2. ट्रेवल एजेंट एण्ड टुर ऑपरेटर।
3. पर्यटन/इतिहास/संस्कृति के विशेषज्ञ।
4. पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी।
5. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त स्थानीय संस्कृतिकर्मी।
6. अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति, जो इस परिषद की समृद्धि एवं विकास में सक्रिय योगदान कर सकें।

संख्या- (1/14)

पत्रावली संख्या- AL/KOS/0047884

दिनांक- 26/07/2022



रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम में परिवर्तन  
का

## प्रमाण - पत्र

(अधिनियम संख्या 29, 1960 के अधीन)

संख्या- KOS/01322/2022-23

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सोसाइटी ने जिसे

आगे जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद कोशाम्बी, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय

विकास भवन कोशाम्बी, कोशाम्बी 212207 कहा जाता था, अपने

नाम में परिवर्तन किया है और सोसाइटी का नया नाम जिला

पर्यटन एवं संस्कृति परिषद कोशाम्बी, विकास भवन कोशाम्बी 212207 है।

नाम में उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 26.07.2022 को सम्यक् रूप से

रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

जारी करने का दिनांक 26.07.2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

प्रमाण पत्र की मर्यादा दिनांक 10.06.2022 तक विद्यमान है।